दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि : 26 अक्टूबर, 2021

मामले में:

रि.या.(आप) 1625/2020 व आप.वि.आ. 13867/2020

रमेश चंद तंवर ....याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री अभिनव रामकृष्ण, अधिवक्ता

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य सरकार व अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री संजय लाओ, राज्य के लिए स्थायी अधिवक्ता के साथ श्री करन जीत राय शर्मा, अधिवक्ता सह उप.नि. अमित ग्रेवाल, थाना लाजपत नगर
सुश्री प्रीतीश सभरवाल, प्रत्यर्थी सं. 2 हेतु अधिवक्ता

कोरम :
माननीय न्यायाधीश श्री सुब्रमोणयम प्रसाद

सुब्रमोणयम प्रसाद, न्या.

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 सह पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह याचिका भारतीय दंड संहिता की धारा 354/506/509 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दिनांक

16.09.2020 को थाना लाजपत नगर में पंजीकृत प्राथमिकी संख्या 339/2020 को अपास्त करने के लिए है।

2. वर्तमान याचिका के संघटक तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं:

क) वर्तमान प्राथमिकी श्रीमती भावना निवासी 2/8, एमसीडी फ्लैट्स, साउथ एक्स . पार्ट-II, नई दिल्ली के अनुरोध पर पंजीकृत की गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि वह दिनांक 10.01.2020 को ज्योति नामक एक कर्मचारी के साथ कार्यालय में मौजूद थी। जब यह याचिकाकर्ता कार्यालय में आया तथा शिकायतकर्ता से पूछा कि वह उसके फोन कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही है तथा वीडियो बनाने लगा और कार्यालय की तस्वीरें लेने लगा। ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को धमकी दी कि उसका बेटा किसी संसद सदस्य के कार्यालय में कार्यरत है, और इसलिए, उसे उसके निर्देशों के अनुसार काम करना होगा। उसने धमकी दी कि यदि वह उसके निर्देशों के अनुसार काम नहीं कर पाती है , तो वह उसे कार्यालय से निकाल देगा और उसका अपहरण कर लेगा। ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि यह सुनने के बाद, शिकायतकर्ता ने अधिकारियों को घटना के बारे में सूचित करने के लिए कार्यालय से बाहर निकलने की कोशिश की।

ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने दरवाजा बंद कर दिया और अभियोक्त्री को पीछे धकेल दिया और उसे बताया कि उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि अभियोक्त्री ने फिर एक फोन कॉल किया और याचिकाकर्ता के दुर्व्यवहार की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी।

ख) ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि श्री के . सी. भारद्वाज (एस.एस.), मध्य क्षेत्र मामले को देखने के लिए अपने कर्मचारियों के साथ शिकायतकर्ता के कार्यालय आए थे। ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और याचिकाकर्ता ने अन्य कर्मचारियों के सामने श्री के. सी. भारद्वाज को गाली देना और पीटना शुरू कर दिया। ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि कर्मचारियों के कुछ सदस्यों ने सुरक्षाकर्मियों को बुलाया , जिन्होंने याचिकाकर्ता को कार्यालय से बाहर निकाला।

ग) शिकायतकर्ता ने मध्य क्षेत्र, लाजपत नगर के उपायुक्त को याचिकाकर्ता के खिलाफ उसके दुर्व्यवहार के लिए कार्यवाही करने के लिए एक लिखित शिकायत दी। इसके बाद दिनांक 16.09.2020 को भारतीय दंड संहिता की धारा 354/506/509 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए थाना

लाजपत नगर में वर्तमान प्राथमिकी संख्या 339/2020 पंजीकृत की गई।

3. याचिकाकर्ता ने वर्तमान प्राथमिकी को अपास्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिका यह कहते हुए दायर की है कि वर्तमान प्राथमिकी कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता 75 साल का है तथा दक्षिण दिल्ली नगर निगम में अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है। वे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता संघ के महासचिव की हैसियत से दिल्ली नगर निगम के स्वच्छता कर्मचारी संघ के लिए सामाजिक सेवा में कार्यरत है। ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 28.06.2020 को याचिकाकर्ता - महेश की ओर से एक अभ्यावेदन आया था, जिसकी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का अनुरोध लंबे समय से विचार के लिए लंबित था। ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि जब याचिकाकर्ता संबंधित अधिकारी , अर्थात्, एमसीडी कार्यालय में वरिष्ठ एसी राहुल सिंह से मिलने गया , तो कथित अधिकारी ने याचिकाकर्ता का अपमान व तिरस्कार किया तथा उसके कर्मचारियों ने याचिकाकर्ता को कार्यालय से बाहर धकेल दिया। ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि उस घटना के बाद , याचिकाकर्ता ने थाना लाजपत नगर में अधिकारी राहुल सिंह के खिलाफ दिनांक

02.09.2020 को एक शिकायत पंजीकृत कराई। ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान प्राथमिकी याचिकाकर्ता द्वारा दी गई शिकायत का एक तीव्र प्रतिक्रिया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि यह घटना दिनांक 10.01.2020 की है तथा वर्तमान प्राथमिकी दिनांक 16.09.2020 को पंजीकृत की गई थी। वर्तमान प्राथमिकी पंजीकृत करने में आठ (8) माह का अत्याधिक विलंब है। वे कहते हैं कि यह विलंब घातक है। उन्होंने आगे प्रतिवाद करते हैं कि प्राथमिकी में शिकायतकर्ता द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया था कि आठ महीने की देरी के बाद प्राथमिकी क्यों पंजीकृत की गई।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने <u>किशन सिंह (मृत) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा बनाम गुरपाल सिंह व अन्य</u>, **(2010) 8 एससीसी 775** में, <u>जय प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य व अन्य</u>, **(2012) 4 एस.सी.सी. 379** में तथा <u>शिव शंकर बनाम राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार</u>), **(2017) 2 डीएलटी (सीआरआई) 151** में कुछ निर्णयों पर भरोसा जताया है यह प्रतिवाद करने के लिए कि वर्तमान प्राथमिकी को पंजीकृत करने में हुआ विलंब घातक है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि वर्तमान प्राथमिकी केवल याचिकाकर्ता द्वारा अधिकारी,

अर्थात्, राहुल सिंह, वरिष्ठ एसी, एमसीडी कार्यालय के खिलाफ दी गई दिनांक 02.09.2020 की पुलिस शिकायत की एक तीव्र प्रतिक्रिया है.

7. इसके विपरीत , शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रीतीश सभरवाल प्रस्तुत करते हैं कि आरोप पत्र दायर कर दिया गया है। वे प्रस्तुत करते हैं कि जांच पर पुलिस ने पाया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस घटना के बारे में सूचित किया था। वे प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 / शिकायतकर्ता की शिकायत पर, एसडीएमसी के सक्षम प्राधिकारी अर्थात सहायक आयुक्त ने पुलिस उपायुक्त, दक्षिण पूर्व, लाजपत नगर को प्राथमिकी पंजीकृत करने के लिए अनुस्मारक पत्र लिखे। थाना लाजपत नगर में वर्तमान प्राथमिकी पंजीकृत की गई तथा इस देरी के लिए प्रत्यर्थी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

8. <u>हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल</u> , **1992 अनुपूरक (1) एस. सी. सी. 335** में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण शक्ति या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए

निम्नलिखित मापदंड अधिकथित किए हैं , जिनका उद्धरण दिया गया है और जिन पर भरोसा जताया गया है, वे इस प्रकार हैं:

> *102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या तथा अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के उपयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में या संहिता की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों को हमने ऊपर उद्धृत और पुनः प्रस्तुत किया है, हम दृष्टांत के माध्यम से मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं जिनमें ऐसी शक्ति का उपयोग या तो किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, भले ही कोई भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से व्यवस्थित दिशानिर्देश या कठोर नियम या ऐसे असंख्य प्रकार के मामलों की विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो पाएगा जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।*
>
> *(1) जहां प्रथम सूचना आख्या या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही वे उनके फेस वैल्यू पर लिए गए हों और उनके संपूर्णता में स्वीकार किए गए हों, प्रथमदृष्टया किसी अपराध का गठन नहीं करते हैं या अभियुक्त के विरुद्ध मामला नहीं बनाते हैं।*

(2) जहां प्रथम सूचना आख्या में लगाए गए आरोप तथा प्रथम सूचना आख्या के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, किसी संज्ञेय अपराध का प्रकटन नहीं करती है, वहां संहिता की धारा 155 (2) की परिधि के भीतर मजिस्ट्रेट के आदेश के सिवाय संहिता की धारा 156 (1) के अधीन पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को न्यायोचित ठहराना।

(3) जहां प्रथम सूचना आख्या या शिकायत में लगाए गए अविवादित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के विरुद्ध मामला बनाते हैं।

(4) जहां, प्रथम सूचना आख्या में आरोप संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते किंतु केवल असंज्ञेय अपराध गठित करते हैं, वहां संहिता की धारा 155 (2) के अधीन यथाअनुध्यात मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की अनुज्ञा नहीं दी जाती है।

(5) जहां प्रथम सूचना आख्या या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि उनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस न्यायसंगत निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके अधीन कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित की जाती है) के किसी प्रावधान में संस्था और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विनिर्दिष्ट प्रावधान है, व्यथित पक्षकार की शिकायत के प्रभावी निवारण का प्रावधान करते हुए कार्यवाहियों को जारी रखने के लिए कोई अभिव्यक्त विधिक वर्जन उत्कीर्ण है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही पर असद्भाव के साथ स्पष्ट रूप से विचार किया जाता है और/या जहां कार्यवाही अभियुक्त से प्रतिशोध लेने और निजी और व्यक्तिगत दुर्भावना के कारण उसके प्रति ईर्ष्या करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण रूप से संस्थित की जाती है।

103. ***हम इस आशय के साथ सावधानी का भी ध्यान रखते हैं कि किसी आपराधिक कार्यवाही को अभिखंडित करने की शक्ति का प्रयोग अत्यंत संयम और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए और वह भी विरले मामलों में से विरलतम मामलों में; कि न्यायालय द्वारा प्रथम सूचना आख्या या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के बारे में जांच आरंभ करना न्यायोचित नहीं होगा और यह कि असाधारण या अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी इच्छा या स्वेच्छा से कार्य करने के लिए मनमानी अधिकारिता प्रदान नहीं करती हैं।***

(जोर दिया गया)

9. वर्तमान प्राथमिकी को पढ़ने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता पर लगाए गए कथित अपराध के संघटक सामने आ गए हैं। याचिकाकर्ता ने राहुल सिंह , वरिष्ठ एसी के खिलाफ एमसीडी कार्यालय में शिकायत दायर की और यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री सामने नहीं आई है कि वर्तमान शिकायत श्री राहुल सिंह , वरिष्ठ एसी की ओर से दायर की गई है और इसलिए , यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान प्राथमिकी केवल याचिकाकर्ता द्वारा एमसीडी कार्यालय में सीनियर एसी राहुल सिंह के खिलाफ दायर की गई शिकायत की एक जवाबी कार्यवाही है। जैसा कि शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सही ढंग से कहा गया है कि सहायक आयुक्त ने वर्तमान घटना के बारे में प्रत्यर्थी संख्या 2 / शिकायतकर्ता की शिकायत के विषय में दिनांक 13.03.2020, 01.07.2020 व 02.09.2020 को पुलिस उपायुक्त, दक्षिण पूर्व को अनुस्मारक पत्र लिखे थे और बाद में , दिनांक 16.09.2020 को थाना लाजपत नगर में प्राथमिकी संख्या 339/2020 पंजीकृत की गई थी। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह प्रस्तुत करना इसलिए सही नहीं है कि वर्तमान प्राथमिकी पंजीकृत करने में देरी हुई थी और देरी के लिए प्रत्यर्थी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

10. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रत्यर्थी सं. 2 / शिकायतकर्ता द्वारा प्राथमिकी पंजीकृत करने में हुए विलंब को समझाते हुए उचित स्पष्टीकरण दिया गया है , प्राथमिकी पंजीकृत करने में देरी हर मामले में घातक नहीं हो सकती है। प्राथमिकी को पढ़ने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित संघटक याचिकाकर्ता का अपराध सिद्ध करते हैं , और इसके अलावा याचिकाकर्ता का मामला **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (पूर्वोक्त)** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों की परिधि के भीतर नहीं आता है। यह न्यायालय, अतः केवल देरी के आधार पर और इस आधार पर कि प्राथमिकी राहुल सिंह के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर शिकायत की एक जवाबी कार्यवाही है, वर्तमान प्राथमिकी को रद्द करने के लिए इच्छुक नहीं है।

11. तदनुसार, सभी लंबित आवेदनों , यदि कोई हो , के साथ याचिका खारिज की जाती है।

न्या., सुभ्रमोणयम प्रसाद

26 अक्टूबर, 2021
एस. जाकिर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा / समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*